

असाधारण

## **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ, 1207] No.1207| नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 29, 2012/आषाढ़ 8, 1934 -NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 29, 2012/ASADHA 8, 1934

## कृषि मंत्रालय

( पशुपालन, डेयरी और मतस्यपालन विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून 2012

का.आ. 1438(अ),—तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) की धारा 4 की उप-धारा (1) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण के निम्नलिखित सदस्यों को अधिसूचना की तारीख से तीन वर्षों की अविध के लिए नियुक्त करती है :—

(क) धारा 4 की उप-धारा (3) के खंड (ख) के अंतर्गत नियुक्त सदस्य :	
डा. पी. रविचन्द्रन	—सदस्य
प्रधान वैज्ञानिक	
केन्द्रीय खारा जल जलकृषि संस्थान,	
चेन्नई, तटवर्ती जलकृषि के क्षेत्र में विशेषज्ञ ।	
(ख) धारा 4 की उप-धारा (3) के खंड (ग) के अंतर्गत नियुक्त सदस्य :	•
डा. आर. किरुभागरन,	सदस्य
वैज्ञानिक 'एफ' राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी), पृथ्वी	
विज्ञान मंत्रालय, चेन्नई ।	
(ग) धारा 4 की उप-धारा (3) के खंड (घ) में उल्लिखित सदस्य :	·
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के प्रतिनिधि,	—सदस्य
(पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा नामित किए जाएंगे) ।	
(घ) धारा 4 की उप-धारा (3) के खंड (ङ) में उल्लिखित सदस्य :	•

कृषि मंत्रालय द्वारा नामित । 2349 GI/2012

संयुक्त सचिव (मात्स्यिकी),

कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली के प्रतिनिधि,

(ड.) धारा 4 की	उप-धारा (3) के खंड (च) में उल्लिखित सदस्य	τ:
श्री डी. एस.	धेसी,	—सदस्य
संयुक्त सचिव	व (ईपी-एमपी),	
वाणिज्य मंत्रा	लय, उद्योग भवन, नई दिल्ली ।	
(च) धारा 4 की उ	प-धारा (3) <mark>के खंड</mark> (छ) के अंतर्गत नियुक्त त	टीय राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि :
(i) मात्स्यि <b>को आ</b>	युक्त, आंध्र प्रदेश सरकार,	—-सदस्य
ए पी सचिवा	लय, हैदराबाद ।	
(ii) सचिव, मारिस्	की विभाग,	सदस्य
जलकृषि, ज	तीय संसाधन एवं मतस्यन बंदरगाह,	,
पश्चिम बंगार	न सरकार, जीएन–31,	
बैनफिश टाव	र बिल्डिंग, कोलकाता ।	
(iii) सचिव (मार्वि	स्यकी), गुजरात सरकार,	—सदस्य
स <del>चि</del> वालय, <sup>३</sup>	गांधीनगर, गुजरात ।	
(iv) सचिव (माति	स्यकी),	—सदस्य
तमिलनाडु स	रकार,	
पशुपालन, डे	यरी एवं मात्स्यिकी विभाग,	
सचिवालय, र	वेन्नई ।	•
(छ) धारा 4 की उ	प-धारा (3) <b>के खंड</b> (ज) में उल्लिखित सदस्य	:
डा. आर. पार	त. राज, तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण,	— <b>सदस्य</b> -सचिव
दितीय तल,	गास्त्री भवन एनेक्सी, 26, हैडोज रोड,	
चेन्नई-6000	06 I	
		[फा. सं. 33036/6/2008-मात्स्यिकी (टी-2)
		तरुण श्रीधर, संयुक्त सचि
		•

## MINISTRY OF AGRICULTURE (Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries) NOTIFICATION

New Delhi, the 26th June, 2012

S.O. 1438(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 4 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005), the Central Government hereby appoint the following Members of the Coastal Aquaculture Authority for the purpose the said Act for a period of three years from the date of Notification:

lture Authority for the purpose the said Act for a period of three years from the	he date of Notificat
(a) Member appointed under clause (b) of sub-section (3) of Section 4:	
Dr. P. Ravichandran,	Member
Principal Scientist,	
Central Institute of Brackishwater Aquaculture,	
Chennai, Expert in the field of Coastal Aquaculture.	
(b) Member appointed under clause (c) of sub-section (3) of Section 4:	
Dr. R. Kirubhagaran,	—Member
Scientist "F" National Institute,	
of Ocean Technology (NIOT),	
Ministry of Earth Sciences,	
Chennai.	
(c) Member referred to in clause (d) of sub-section (3) of Section 4:	
Representative of the Ministry of Environment,	Member
and Forest, New Delhi (to be nominated by the	
Ministry of Environment and Forests)	

(d) Member referred to in clause (e) of sub-section (3) of Secti	on 4 :
Joint Secretary (Fisheries)	—-Member
Representative of the Ministry	
of Agriculture, New Delhi nominated	
by the Ministry of Agriculture.	
(e) Member referred to in clause (f) of sub-section (3) of Secti	on 4 ·
Shri D. S. Dhesi,	—-Member
Joint Secretary (EP-MP)	— wender
Ministry of Commerce,	
Udhyog Bhawan, New Delhi.	
(f) Representative of Coastal States and Union Territories appointed	ed under clause (a) of sub-section (3) of Section 4
(i) Commissioner of Fisheries	—Member
Government of Andhra Pradesh,	Member
AP Secretariat, Hyderabad.	
(ii) Secrettary, Department of Fisheries,	Member
Aquaculture, Aquatic Resources and	110011001
Fishing Harbours, Government of West Bengal,	
GN-31, Benfish Tower Building, Kolkata.	
(iii) Secretary (Fisheries),	Member
Government of Gujarat,	
Sachivalaya, Gandhi Nagar, Gujarat.	
(iv) Secretary (Fisheries),	—Member
Government of Tamil Nadu,	·
Animal Husbandry, Dairying and	
Fisheries Department, Secretariat, Chennai.	
(g) Member referred to in clause (h) of sub-section (3) of Sectio	n 4 :
Dr. R. Paul Raj,	Member-Secretary
Coastal Aquaculture Authority,	Table Colonialy
2nd Floor, Shastri Bhawan, Annexe,	
26, Haddows Road, Chennai-600006.	
	[F. No. 33036/6/2008-Fy (T-2)